संख्याः पी.एल.जी.एफ.सी.(एफ) 1-34/12/RIDF-XIX(Main) loose
हिमाचल प्रदेश सरकार
''योजना विभाग''

प्रेषक

प्रधान सचिव(योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

प्रेषित

....
....
....

दिनांकः शिमला-2, 25th फरवरी, 2026

विषयः माननीय विधायकों की विधायक प्राथमिकता की योजनाओं को वार्षिक बजट 2026-27 में निर्धारित प्रपत्र-। के माध्यम से सम्मिलित करने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विधायक प्राथमिकता योजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 में शामिल करने हेतु **निर्धारित प्रपत्र-।** को इस आशय के साथ सादर संलग्न किया जाता है कि माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित **कुल पाँच विधायक प्राथमिकताएं निर्धारित प्रपत्र-।** पर प्रस्तावित करें, जिनमें **चार विधायक प्राथमिकताएं मुरम्मत एवं रख-रखाव (Repair & Maintenance Schemes)** तथा **एक प्राथमिकता वास्तविक नई स्कीम (Really New Scheme) से सम्बन्धित होगी।**

माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित विधायक प्राथमिकताओं को **निर्धारित प्रपत्र-।** पर योजना विभाग को डॉक तथा ई-मेल (ppo-plg-hp@nic.in) के माध्यम से दिनांक 10-03-2026 से पहले प्रेषित करने की अनुकम्पा करें, ताकि इन प्रस्तावित योजनाओं को आगामी बजट में शामिल किया जा सके। माननीय विधायक अपनी विधायक प्राथमिकता योजनाओं को अपने User ID and Password द्वारा Software के माध्यम से भी दिनांक 27-02-2026 से 10-03-2026 तक upload कर सकते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध रहेगा कि दिनांक 06 तथा 07 फरवरी, 2026 को आयोजित की गई दो दिवसीय विधायक प्राथमिकता योजनाओं की बैठकों के दौरान जिन माननीय विधायकों ने पुराने प्रपत्र या अपने अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा अपनी प्राथमिकताएं प्रदान की हैं वे भी **पुनः नवीन प्रपत्र-।** के अनुसार ही अपनी प्राथमिकताएं योजना विभाग को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार(योजना),
हि0प्र0,शिमला-2.

जारी पृष्ठ-2

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि । दिनांक, शिमला-2 25th फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-4.
2. प्रधान निजी सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. विशेष निजी सचिव, माननीय उप-मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
4. निजी सचिव, माननीय समस्त मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
5. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष (7वां राज्य वित्तायोग), हि0प्र0, शिमला-2.
6. निजी सहायक, माननीय उपाध्यक्ष (पर्यटन), हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
7. विशेष निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष (राज्य योजना बोर्ड), हि0प्र0, शिमला-2.
8. निजी सहायक, माननीय उप-मुख्य सचेतक (हि0प्र0वि0स0), हि0प्र0, शिमला-2.
9. निजी सचिव, प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
10. वरिष्ठ निजी सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
11. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप **संलग्न प्रपत्र-।** की एक प्रति विशेष संदेशवाहक के माध्यम से अपने जिले से सम्बन्धित सभी माननीय विधायकों (माननीय विधानसभा अध्यक्ष/उप-मुख्य सचेतक / माननीय मंत्रियों, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष बोर्ड एंव निगम को छोड़कर) को वितरित एवं सूचित करेंगे।
12. निजी सहायक, सलाहकार (योजना), हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना),
हि0प्र0, शिमला-2.

प्रपत्र—1

<table>
<tr><td colspan="2">

- वार्षिक बजट 2026—27 के लिए माननीय विधायकों से निम्न वर्णित शीर्षों में केवल पाँच प्राथमिकताएं आमंत्रित की जाएगी ।
- पाँच प्राथमिकताओं में से चार प्राथमिकताएं मुरम्मत एवं रख—रखाव से सम्बन्धित होंगी।
- एक प्राथमिकता वास्तविक नई स्कीमों (RNS) से सम्बन्धित होगी।

</td></tr>
<tr><td>माननीय विधायक का नाम :</td><td></td></tr>
<tr><td>निर्वाचन क्षेत्र का नाम :</td><td></td></tr>
<tr><td>जिले का नाम :</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">(PART-A)</td></tr>
<tr><td>I. सड़कें एवं पुल
(मुरम्मत एवं रख—रखाव)</td><td></td></tr>
<tr><td>II. लघु सिंचाई योजनार्ये
(मुरम्मत एवं रख—रखाव)</td><td></td></tr>
<tr><td>III. ग्रामीण पेयजल /
मल निकासी योजनार्ये
(मुरम्मत एवं रख—रखाव)</td><td></td></tr>
<tr><td>IV. सरकारी शैक्षणिक संस्थान
(मुरम्मत एवं रख—रखाव)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">(PART-A में चार से अधिक प्राथमिकताएं नहीं दी जा सकती। प्राथमिकता श्रेणी I, II, III अथवा IV में एक—एक प्राथमिकता या श्रेणी I, II, अथवा III में से किसी एक श्रेणी में एक साथ चार, तीन या दो प्राथमिकताएं दी जा सकती हैं।)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(PART-B)</td></tr>
<tr><td>V. वास्तविक नई स्कीमें(RNS)
(सड़कें एवं पुल / लघु सिंचाई / ग्रामीण पेयजल / मल निकासी योजनाओं में से कोई एक)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">(PART-B में वास्तविक नई स्कीमों(RNS) से सम्बन्धित किसी एक शीर्ष में केवल एक प्राथमिकता दी जा सकती है।)</td></tr>
</table>

हस्ताक्षर
माननीय विधायक

***